FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

दानाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 2021/4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05-10-2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र/वादपत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी के पिता सुखाराम पुत्र हीराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहः श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर क`नम से आवंटनशुदा भूमि चक 17 केवाईडी मु0नं0 97/42 के किला नं0 1 ता 20 की 19.12 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता सुखाराम का देहान्त दिनांक 19.11.2019 को हो चुका है। नामान्तरण में प्रार्थी के पिता का नाम सुखाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील डूंगरगढ़ के स्थार पर सुखराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर सहवन से दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने सुखराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर के स्थान पर सुखाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। वादपत्र सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि सुखाराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि संलग्न आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम सुखराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर अंकित है। प्रार्थी आवंटन आदेश अनुसार अपने पिता का नाम सुखराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में सुखराम पुत्र हीराराम करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के पक्ष में आधारकार्ड, खातेदारी, आवंटन आदेश आदि व गिरदावरी, जमाबंदी प्रस्तुत की है।	

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन मनन किया गया। उक्त अवलोकनोपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि में चक 17 केवाईडी मु0नं0 97/42 के किला नं0 1 ता 20 की 19.12 बीघा कमाण्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुखराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर के स्थान पर सुखाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्तानुसार दुरुस्ती के आदेश किये जाते है एवं शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।